नागार्जुन की कविताएं

मैं तुम्हें अपना चुंबन दूंगा

तुम उनकी साज़िशों को ख़त्म कर दोगे
तुम प्रवंचना की उनकी कुटिल चालों का अंत कर दोगे
हत्याएं करने–करवाने की –
चुपचाप ज़हर घोलने–घुलवाने की –
कारागार की नारकीय कोठरियों में
मानवता को गलाने–गलवाने की –
यानी उनकी एक–एक साज़िश को
तुम ख़त्म कर दोगे
हमेशा–हमेशा के लिए!
मैं तुम्हारा ही पता लगाने के लिए
घूमता फिर रहा हूं
सारा–सारा दिन : सारी–सारी रात।
आगामी युगों के मुक्ति सैनिक, कहां हो तुम?
निपीड़ित–शोषित मानवता के उद्धारक, कहां हो तुम?
आओ, सामने आओ बेटे!
मैं तुम्हारा चुंबन लूंगा
मैं तुम्हें अपना चुंबन दूंगा

मैं तुम्हीं को अपनी यह शेष आस्था अर्पित करूंगा
मैं तुम्हारे लिए ही जियूंगा, मरूंगा
मैं तुम्हारे ही इर्द–गिर्द रहना चाहूंगा
मैं तुम्हारे ही प्रति अपनी वफ़ादारी निबाहूंगा
आओ, खेत–मज़दूर और भूमिदास नौजवान
आओ, खदान–श्रमिक और फैक्ट्री–वर्कर नौजवान
आओ, कैम्पस के छात्र और फैकल्टियों के नवीन–प्रवीण प्राध्यापक
हां, हां, तुम्हारे ही अंदर तैयार हो रहे हैं
आगामी युगों के लिबरेटर

आओ भाई, सामने आओ!
मैं तुम्हारा चुंबन लूंगा
मैं तुममें से एक–एक सिर सूंघूंगा
आओ भई, सामने आओ!
मुझ पगलेट के साथ बातचीत करो
हंसो–खेलो मेरे साथ
मैं तुम्हारी जूतियां चमकाऊंगा
दिल बहलाऊंगा तुम्हारा
कुछ भी करूंगा तुम्हारे लिए...
मैं तुम्हें अपना चुंबन दूंगा...

मेरी भी आभा है इसमें

नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है
यह विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है
मेरी भी आभा है इसमें

भीनी–भीनी खुशबू वाले
रंग–बिरंगे

यह जो इतने फूल खिले हैं
कल इनको मेरे प्राणों ने नहलाया था
कल इनको मेरे सपनों ने सहलाया था

पकी सुनहली फसलों से जो
अबकी यह खलिहान भर गया
मेरे रग–रग के शोणित की बूंदे इसमें मुसकाती हैं

नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है
यह विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है
मेरी भी आभा है इसमें

पेज 1 का शेष भाग

रिश्वतखोरी का आरोप साज़िश : निर्मल यादव

जहां तक निर्मल यादव का सवाल है, काफ़ी प्रयास करने के बावजूद इन्हें बचाया नहीं जा सका और इन पर मुकदमा दर्ज करना पड़ा, पर आश्चर्य की बात तो यह है कि इन्हें गिरफ़्तार क्यों नहीं किया गया? इन्हें तो तत्काल गिरफ़्तार करना चाहिए था, फ़िर अदालत में ये बतातीं कि इनके बाप ने इन्हें ईमानदारी की कैसी शिक्षा दी थी जिसका पालन उन्होंने रिश्वत लेकर किया।

जजों द्वारा रिश्वत लिया जाना कोई बड़ी बात नहीं है। जहां पूरी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था रिश्वतखोरी के आधार पर चल रही है, वहां न्यायपालिका इससे कैसे बच सकती है? लेकिन सवाल है कि रिश्वतखोर तो उसे ही कहा जायेगा जो रिश्वत लेते हुए पकड़ा जायेगा। निर्मल यादव के संबंध में यह प्रमाणित हो चुका है जो 15 लाख रुपये का बंडल वकील बंसल व दिल्ली के एक होटल व्यवसायी रविन्द्र सिंह ने भेजा था, वह मुंशी की ग़लती से दूसरी जज निर्मल कौर के पास पहुंच गया। 15 लाख रुपये निर्मल यादव को बतौर घूस क्यों भेजे गये थे, इसकी पूरी कहानी 'मज़दूर मोर्चा' के गतांक में प्रकाशित हो चुकी है। अतः उसे दुहराने की कोई जरूरत नहीं है। निर्मल यादव द्वारा ली जाने वाली यह रिश्वत तो पकड़ में आ गई, पर अभियुक्तों के पक्ष में मन-माफ़िक फ़ैसला लिखने के लिए इन्होंने अपने लंबे कैरियर के दौरान कितनी रिश्वत ली होगी, इसका क्या हिसाब? कुल मिला कर निर्मल यादव जैसी भ्रष्ट एवं रिश्वतखोर जज वर्तमान न्याय व्यवस्था में फलती-फूलती रहेंगी। साधनहीन जनता के अकथनीय शोषण पर आधारित वर्तमान व्यवस्था में ऐसे रिश्वतखोर जजों का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। इस बात को निर्मल यादव भी जानती हैं, तभी तो चोरी के बाद सीनाजोरी कर रही हैं।

इनका कहना है कि अब वे राजनीति की दुनिया में कदम रख कर जनता की सेवा करेंगी। चलिये, इतने दिनों तक न्यायपालिका में रह कर जनता की 'सेवा' कर लीं। जनता की 'सेवा' करने वालों को इसकी ऐसी आदत पड़ जाती है कि इसके बिना वे रह ही नहीं सकते। इसके लिए राजनीति से अच्छा माध्यम और क्या हो सकता है? राजनीति में कालिख पुते चेहरों की जरूरत ज़्यादा है और उनके निकट संबंधी भी राजनीति में काफ़ी ऊंचाई पर हैं। अतः राजनीति में प्रवेश करने में निर्मल यादव को परेशानी नहीं होगी।

इनके भाई कैप्टन अजय सिंह यादव राजनीति के माध्यम से जनता की कितनी 'सेवा' किस तरह से कर रहे हैं, इसका विवरण यहां देने की आवश्यकता नहीं है। हां, हरियाणवी राजनीति में दोनों बहन-भाई मिल कर इस 'सेवा' क्षेत्र में अवश्य ही एक और एक ग्यारह हो जायेंगे। निर्मल यादव रंगे हाथों पकड़ी बेशक पहली बार गई हों, लेकिन इनका भ्रष्टाचार कोई नयी बात नहीं है। अपने राजनीतिक-पारिवारिक प्रभाव के चलते न्यायपालिका में इनकी प्रथम नियुक्ति बतौर अतिरिक्त सेशन जज हुई थी। वर्ष 1990 ये साहिबा लेबर कोर्ट, फ़रीदाबाद में नियुक्त हुई थीं। लेकिन इनको फ़रीदाबाद रहना रास नहीं आता था, क्योंकि इनका घर-परिवार गुड़गांव में था। इन्होंने अपने राजनीतिक प्रभाव द्वारा लेबर कोर्ट फरीदाबाद को उठवा कर गुड़गांव में रखवा दिया। इसकी वजह से प्रतिदिन सैंकड़ों मज़दूरों व वकीलों को मुकदमे की सुनवाई हेतु गुड़गांव जाना पड़ता था। इतना ही नहीं, यदि कोई वकील गुडइयर कंपनी की ओर से पेश होता तो वे उससे अपनी कार के लिए टायरों की मांग करतीं, कोई एयरकंडीशनर कंपनी की ओर से पेश होता तो उससे एयरकंडीशनर की मांग करतीं। शायद ही किसी कंपनी का वकील ऐसा बचा होगा जिससे ये ऐसी मांग न करती हों। इस देश में यदि कोई सुनवाई करने वाला हो, वे वकील आज भी इस बात की पुष्टि करने करने को तैयार हैं। ज़ाहिर है, उस पुष्टि को भी निर्मल यादव अपने विरुद्ध राजनीति से प्रेरित एक साजिश का नाम देने में देर नहीं करेंगी।

ईएसआई मुद्दे पर केंद्रीय श्रम मंत्री ने चेताया राज्य के श्रम मंत्री को

निर्दलीय विधायक होने के नाते श्रम मंत्री शिवचरण लाल शर्मा का वजन उन मंत्रियों से कहीं ज़्यादा है जो कांग्रेस के टिकट पर विधायक बन कर आये हैं। अपनी बात मनवाने के लिए शर्मा जी किसी भी हद तक दबाव बनाने की स्थिति में हैं। वे कांग्रेसी मंत्रियों की तरह किसी तथाकथित अनुशासन में बंधे भी नहीं हैं। अब देखने वाली बात केवल यह है कि मंत्री महोदय अपने इस वजन का सदुपयोग व्यापक जनहित में करते हैं या अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति हेतु।

जाट आंदोलन : यह तो होना ही था

उन्होंने मंडल कमीशन की सिफ़ारिशों को लागू कर दिया और इसके तहत अनेकों पिछड़ी जातियों को आरक्षण का लाभ मिला। एक नयी तरह की पिछड़ावादी राजनीति की शुरुआत हुई। अगड़ी जातियों ने मंडल कमीशन की सिफ़ारिशों का पुरजोर विरोध किया, पर कुछ हुआ नहीं। देश में पिछड़ावादी राजनीति की एक लहर पैदा हो गई। अब इस लहर को रोक पाने की क्षमता किसी भी राजनीतिक दल में नहीं है। ऐसी स्थिति में आरक्षण के तर्क को विस्तार मिलना स्वाभाविक था। लालू जैसे पिछड़ेवादी नेता अगड़ी जातियों यानी ब्राह्मणों तक को आरक्षण देने की बात करने लगे। इधर मायावती जैसी दलित नेत्री ने ब्राह्मण सम्मेलन तक आयोजित करवा कर और ऊंची जातियों का सहारा लेकर उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत हासिल किया। अब वे बहुजन की जगह सर्वजन की बात करती हैं। वैसे देखा जाये तो ओबीसी (अन्य पिछड़ी जातियों) को आरक्षण की कोई जरूरत नहीं थी। ये मध्यवर्ती खेतिहर जातियां हैं और सरकारी नौकरियों में भी इनका प्रतिनिधित्व कम नहीं है। पर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जब मंडल का पिटारा खोला तो इन्हें आरक्षण का लाभ मिला। इनकी देखादेखी अगर जाट समुदाय के लोग अपने आपको अन्य पिछड़ा जाति श्रेणी में शामिल करने की मांग करते हैं तो क्या ग़लत है। बेशक यह सब भारतीय राजनीति की पतनशीलता को पराकाष्ठा पर ले जाये, लेकिन यह आरक्षण की राजनीति की स्वाभाविक परिणति है।

– प्रतिनिधि

मजदूर मोर्चा, फरीदाबाद

के प्रकाशन के संबंध में सूचना
फार्म -4
(नियम 8 देखिए)

1. प्रकाशन स्थान	:	फरीदाबाद
2. प्रकाशन अवधि	:	पाक्षिक
3. मुद्रक का नाम	:	सतीश कुमार
क्या भारत का नागरिक है?	:	हां
(यदि विदेशी मूल का है तो मूल देश)	:	××××××××
पता	:	मकान नं. 708, सेक्टर-14 फरीदाबाद, हरियाणा।
4. प्रकाशक का नाम	:	सतीश कुमार
क्या भारत का नागरिक है?	:	हां
(यदि विदेशी मूल का है तो मूल देश)	:	××××××××
पता	:	मकान नं. 708, सेक्टर-14 फरीदाबाद, हरियाणा।
5. संपादक का नाम	:	सतीश कुमार
क्या भारत का नागरिक है?	:	हां
(यदि विदेशी मूल का है तो मूल देश)	:	××××××××
पता	:	मकान नं. 708, सेक्टर-14 फरीदाबाद, हरियाणा।

6. उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार पत्र के स्वामी हों तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार हों।

मैं सतीश कुमार एतद् घोषित करता हूं कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं।

दिनांक 1 अप्रैल, 2011 — ह./- सतीश कुमार, प्रकाशक

मज़दूर मोर्चा
पाक्षिक

फरीदाबाद के पाठकों के लिए मजदूर मोर्चा अब हॉकरों के माध्यम से उपलब्ध है। जो भी हॉकर आपके यहां अखबार देने आता है, वह मांगने पर मज़दूर मोर्चा अवश्य देगा। डाक से अखबार पहुंचे या नहीं, इसका कोई ठिकाना न होने के कारण यह व्यवस्था की गई है। अखबार मिलने में किसी तरह की समस्या होने पर हमारे प्रसार प्रबंधक से निम्न मोबाइल नंबर पर संपर्क करें :

दीक्षित न्यूज एजेंसी,
9811159238

प्रिंट फोर्ट

नेहरू ग्राउण्ड, एनआईटी फरीदाबाद में भी मज़दूर मोर्चा उपलब्ध है।